छत्तीसगढ़ शासन

MAKE IN INDIA
MAKE IN CHHATTISGARH

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2015-16

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

बस्तर में ULTRA MEGA STEEL PLANT की स्थापना के लिए पधारे प्रधानमंत्री के समक्ष एम.ओ.यू.

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर समिट- मेक इन इंडिया वीक 2016, मुम्बई

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

MAKE IN INDIA

MAKE IN CHHATTISGARH

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय

विभागीय मंत्री	श्री अमर अग्रवाल
संसदीय सचिव	श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया
सचिव	श्री सुबोध कुमार सिंह
विशेष सचिव	श्री व्ही.के. छबलानी
विशेष सचिव	श्री ए.पी.त्रिपाठी
उप सचिव	श्रीमती शारदा वर्मा
उप सचिव	श्री कार्तिकेया गोयल
उप सचिव	श्री एस.के.चौधरी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्री जी. एल. सांकला

विभागाध्यक्ष

उद्योग संचालनालय	श्री कार्तिकेया गोयल, संचालक उद्योग
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्रीमती शारदा वर्मा, पंजीयक
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री एस.सी. झा, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र

विभाग के बोर्ड एवं निगम

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	अध्यक्ष - डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री संयोजक - श्री सुबोध कुमार सिंह
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष - श्री छगनलाल मुंदड़ा प्रबंध संचालक - श्री सुनील मिश्रा

	विषय सूची	पेज नं.
	भाग - 1	
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	01-15
2.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	16
3.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	17-20
4.	विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/उपक्रम	
	(अ) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	21
	(ब) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	22-29
5.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	30
	भाग - 2	
5.	बजट	31-33
	भाग - 3	
6.	योजनाएं	34-52
	भाग - 4	
7.	परिशिष्ट	53-58

भाग- 1

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रमुख दायित्व प्रदेश के चहुंमुखी विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना है। उद्यमियों को सुविधाये एवं अनुदान प्रदान कर उन्हें सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट, एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये प्रेरित करना तथा "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" एवं "मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना" के क्रियान्वयन द्वारा बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन, उद्योगों में पूंजी निवेश द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास, व्यापार एवं निर्यात वृद्धि के लिए विभाग उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना है, विभाग ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'' तथा "Ease of Doing Business" का भी नोडल विभाग है।

1.1 विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है –

(अ) नीति संबंधी विषय :

1. व्यापार एवं वाणिज्य
2. वस्तुओं का उत्पादन.
3. एकस्व, अविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह.
4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात
5. महाजनी (बैंकिग) कम्पनियों को छोड़ कर अन्य कंपनियां.
6. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ.
7. बीमा
8. वाष्पयंत्र
9. भण्डार.
10. विस्फोटक

औद्योगिक प्रगति को एक नई दिशा

11. डाक घर बचत बैंक
12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.
13. सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित है.
14. विनिमय पत्र, चैक, वचन–पत्र और ऐसी ही अन्य लिखतें.
15. उद्योगों को राज्य सहायता.
16. राज्य तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक–2 को छोड़ कर)
17. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़ कर) है.
18. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला.
19. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यपार, संघ तथा न्याय.
20. हड्डी तथा हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण.
21. फर्नेस आइल.
22. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन,
23. रेल–इसमें नई रेल्वे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल है।

(ब) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :-

1. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006
2. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951
3. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973
4. भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932
5. वाष्प यंत्र अधिनियम, 1923
6. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
7. छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978
8. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002
9. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2006

8. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998
9. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002
10. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015
11. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004

(स) विभाग में प्रचलित नीतियां

1. छत्तीसगढ़ आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010
2. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012
3. ऑटोमोटिव नीति 2012
4. औद्योगिक नीति 2014–19

(द) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लिये प्रशासित सेवा नियम

1. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 2007
2. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2006
3. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 1985
4. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिका सेवा) सेवा भर्ती नियम 2007
5. छत्तीसगढ़, राज्य वाष्प यंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
6. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2013
7. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
8. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987
9. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012
10. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012

(ई) सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. नीति –क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय :
2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
3. निगमों की सामान्य समस्याएं.
4. प्रबंध पद्वतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्वयन.

1.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1.	राज्य गठन के पश्चात् स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	–	संख्या – **18972** रोजगार – **112382**
2.	राज्य गठन के पश्चात् स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	–	संख्या – **186** रोजगार – **41949**
3.	उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	–	**26**
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	–	**15**
5.	स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसईजेड)	–	**01**
6.	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क	–	**02**
7.	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां (फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं कृषि उपकरण कारखाना भिलाई)	–	**02**
8.	राज्य में स्थापित बायलरों की संख्या	–	**1144**
9.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य पंजीकृत समितियों की संख्या	–	**4,611**
10.	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या	–	**30,186**
11.	वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ़ से निर्यात	–	**7230** करोड़
12	कोर सेक्टर में निष्पादित एम.ओ.यू. में पूंजी निवेश	–	**61155** करोड़

1.3 Ease of Doing Business

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम बार Ease of Doing Business हेतु सम्पूर्ण देश में व्यापक सर्वे कराया गया। यह सर्वे 8 सेक्टरों में कराया गया –

1. उद्योग / व्यवसाय की स्थापना
2. भूमि आबंटन एवं निर्माण की अनुमति
3. पर्यावरणीय सम्मति हेतु प्रक्रियाओं का पालन
4. श्रम सन्नियमों का पालन
5. औद्योगिक अधोसंरचना सुविधाओं की प्राप्ति
6. कर संबंधी प्रक्रियाएँ एवं पंजीयन
7. निरीक्षण व्यवस्था
8. निविदा क्रियान्वयन

सर्वे में 285 बिन्दु समावेशित थे। सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य को 32 में से चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यह राज्य के लिये एक गौरवशाली एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

''विश्वसनीय छत्तीसगढ़'' में निवेश आकर्षित करने हेतु देश में एक प्रमुख बांड के रूप में अपना राज्य उभर रहा है।

उद्योगों को गैर वित्तीय सुविधाएँ :-

1	उद्योग विभाग	1. ''उद्यम आकांक्षा'' ऑनलाईन प्रारंभ। 2. औद्योगिक निवेश एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित आवेदन निराकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है। 3. बॉयलरों के नवीनीकरण हेतु प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण व्यवस्था लागू। 4. औद्योगिक क्षेत्रों में भू–हस्तांतरण प्रब्याजि में युक्तियुक्त कमी।
2	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1. सम्मति नवीनीकरण की अवधि में वृद्धि– रेड केटेगरी 05 वर्ष, ऑरेंज केटेगरी 10 वर्ष, ग्रीन केटेगरी 15 वर्ष। 2. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत एक ही परिसर के क्रियाकलापों हेतु पृथक–पृथक परिचालन सम्मति के स्थान पर एकल प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू।
3	श्रम विभाग	1. श्रम कानूनों के तहत् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ। 2. कारखाना अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाकर 05 वर्ष की अवधि हेतु।
4	ऊर्जा विभाग	1. भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत इलेक्ट्रिक लायसेंस का नवीनीकरण 05 वर्ष की अवधि हेतु।
5	खनिज संसाधन	1. खनिज कानून के तहत् भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि 03 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष।

1.4 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय, निगम/बोर्ड

विभाग के अंतर्गत उद्योग संचालनालय, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, और वाष्पयंत्र निरीक्षकालय कार्यरत है। इनका मुख्यालय रायपुर में है। विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड कार्यरत है, जिसका मुख्यालय रायपुर में हैं।

मेक इन इण्डिया वीक 2016, मुम्बई में USA के निवेशकों से चर्चा

उद्योग संचालनालय

उद्योग संचालनालय ''संचालक उद्योग'' के नियंत्रण में कार्यरत है तथा इसके अंतर्गत राज्य के सभी 27 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत है। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख है। संचालनालय की पद संरचना **परिशिष्ट-एक** पर संलग्न है।

सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं आनुषांगिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समयावधि में करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2006 से लागू "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006" के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित "छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु मध्यम फेसीलिटेशन कौंसिल" कार्य कर रही हैं।

औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन ''उद्योग संचालनालय'', ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हपलमेंट कार्पो0 लि0'' एवं ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

विभाग द्वारा ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012'' एवं ''ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012'' का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। विभागीय बजट का संचालन एवं नियंत्रण तथा जिला कार्यालयों का नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन किया जाता है।

विभाग तथा उसके अन्तर्गत उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

(1) औद्योगिक नीति 2014-19

इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "Make in India" की भांति राज्य में "Make in Chhattisgarh" की योजना को क्रियान्वित करने हेतु Make In India के अन्तर्गत आने वाले विनिर्माण से संबंधित उद्योगों को राज्य में प्राथमिकता से बढ़ावा देना है। साथ ही औद्योगीकरण को गति प्रदान कर कोर सेक्टर के साथ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, राज्य के मूल निवासियों हेतु रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने, राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने,

कौशल उन्नयन के साथ मेक इन छत्तीसगढ़

राज्य के औद्योगिक दृष्टि से समस्त पिछड़े विकास खण्डों में अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को विशेष सुविधाएं एवं महिला उद्यमी, निःशक्तजन, राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों आदि कमजोर वर्ग तथा अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ0डी0आई0), निर्यातक निवेशक एवं विदेशी तकनीक वाले उद्योगों को सामान्य वर्ग की अपेक्षा अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देकर औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने, औद्योगिक अधोसंरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ''औद्योगिक नीति 2014–19'' दिनांक 01 नवंबर, 2014 से प्रभावी की गयी है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्य को आर्थिक विकास के स्थान पर औद्योगिक दृष्टि के आधार पर दो वर्गों में "औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र" एवं "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में" विभक्त किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के सभी विकासखण्ड औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रखे गये हैं। साथ ही संतृप्त श्रेणी (अपात्र) के उद्योगों को भी औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में विभक्त किया गया हैं।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु, शासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने की शर्त का पुनः प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु राज्य में भूमि बैंक विकसित करने की योजना, भूमि बैंक में से न्यूनतम 20 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आरक्षित रखने, रेल कारीडोर योजना एवं दल्लीराजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल्वे परियोजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले उपयुक्त स्थानों पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकित करने तथा राज्य के समस्त जिलों में उपयुक्त स्थानों पर सर्वसुविधायुक्त नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की योजना हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु भी एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना लागू की गई हैं।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार की सुनिश्चिता के अलावा राज्य के मूल निवासी स्नातक अभियंता, डिप्लोमा कोर्स, आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने वाले युवकों को एप्रेन्टिसशिप एवं इन्टर्नशिप देने के प्रावधान रखे गये हैं।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र विकास हेतु राज्य में स्थापित सहायक उद्योगों के हित संरक्षण का पूर्ण ध्यान रखते हुए भारत सरकार की "पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्टरप्राइजेस" के क्रियान्वयन का प्रावधान है, पूर्व औद्योगिक नीति की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाओं को निरंतर रखते हुए नवीन योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं। प्रभावी सिंगल विंडो प्रणाली (मितान)

लागू करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं तथा राज्य में औद्योगिक निवेश/विकास की सरलीकृत प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन प्रणाली पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

राज्य में उद्यमिता विकास हेतु छत्तीसगढ़ कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन (CGCON) का गठन सीएसआईडीसी, राष्ट्रीकृत बैंको एवं अन्य शासकीय विभागों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में किये जाने का प्रावधान हैं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010

भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों के गठन एवं संचालन के लिए ''विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005'' (2005 का 28 वॉ) पारित किया गया है। इसी संदर्भ में राज्य में निर्यात उत्पादन में वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिये राज्य शासन व्दारा ''छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010'' लागू की है। भारत सरकार द्वारा पारित ''विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005'' के तहत् बनाये गये नियम एवं राज्य शासन की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के तहत् राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र कोई भी व्यक्ति (जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य शासन, निजी व्यक्ति, संयुक्त क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक, निजी, भागीदार प्रारूप में शामिल हैं) व्दारा स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग है।

राज्य में राजनांदगांव जिले के महरूमखुर्द–चवरढ़ाल ग्राम में निजी क्षेत्र का एक विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित हुआ है जिसमें "फोटो वोल्टेट मॉड्यूल" निर्माण का एक उद्योग 48 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित है।

(3) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012

राज्य में डाउन स्ट्रीम उद्योगों को गति देने तथा राज्य के मूल्यवान प्राकृतिक कृषि एवं खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन राज्य में ही करने के लिए ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012'' दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अवधि हेतु लागू थी जिसे बढ़ाकर 07 वर्ष किया गया है, अब यह नीति 31 अक्टूबर, 2019 तक प्रभावशील रहेगी।

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2015 से ''नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग'' योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना '' छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन'' राज्य में लागू की है।

(4) ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012

राज्य में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योगों (आटोमोबाईल– दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स उद्योग आदि) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु ''ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012'' दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अविध तक अर्थात् 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू है। इस नीति का क्रियान्वयन जारी है।

(5) वर्ष 2015-16 में जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश

क्रं.	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
1	स्टाम्प शुल्क से छूट संबंधी अधिसूचनाएं	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचनाएं 1. क्रमांक एफ 10–22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(41), दिनांक 23.04.2015 2. क्रमांक एफ 10–22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(42), दिनांक 23.04.2015 3. क्रमांक एफ 10–22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(43), दिनांक 23.04.2015 4. क्रमांक एफ 10–22/2015/वा.क.(पं.)/पांच(44), दिनांक 23.04.2015
2	राज्य में ''उद्यमिता विकास समिति'' का गठन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का आदेश क्रमांक 20–28/2015/11/(6) दिनांक 02.05.2015/05.05 2015
3	छत्तीसगढ़ कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन (CGCON) के गठन हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का आदेश क्रमांक 20–28/2015/11/(6) दिनांक 02.05.2015/05.05. 2015
4	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''औद्योगिक नीति 2009–14 की अधिसूचनाओं में एकजाई संशोधन'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20–23/2015/11/(6) दिनांक 02.05.2015/05.05. 2015
5	औद्योगिक निवेश हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत्	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का परिपत्र क्रमांक 20–27/2015/11/(6) दिनांक 18.05.2015
6	औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20–24/2015/11/(6) दिनांक 06.05.2015/07.05. 2015
7	औद्योगिक नीति 2014–19 अन्तर्गत प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश निर्धारण संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20–22/2015/11/(6) दिनांक 26.05.2015 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ
8	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	20–63/2015/11/(6) दिनांक 17.06.2015

क्रं.	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
9	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''मार्जिन मनी अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–54/2015/11/(6) दिनांक 17.06.2015
10	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''ब्याज अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–31/2015/11/(6) दिनांक 04.06.2015
11	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''स्थायी पूंजी निवेश अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–68/2015/11/6 दिनांक 21.08.2015
12	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''परियोजना प्रतिवेदन अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015
13	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''तकनीकी पेटेन्ट अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015
14	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान'' संबंधी अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–81/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ
15	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत ''छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश	20–9/2013/ग्यारह/(छै), दिनांक 30.11.2015
16	प्रोत्साहन सहायता नियम 2012'' कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–87/2012/ग्यारह/(छै), दिनांक 18.01.2016 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ
17	औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत ''छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों की स्थापना अनुदान नियम	20–102/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 15.01.2016
18	2014'' संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–109/2009/ग्यारह/(छै), दिनांक 18.01.2016
19	2009 में संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2014 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–31/2015/ग्यारह/(छै), दिनांक 18.01.2016 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ
20	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों को सेवा के रूप में उपलब्ध कराने बाबत्।	20–53/2013/11/(6), दिनांक 27.06.2015

क्रं.	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
21	छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–47 / 2013 / 11 / (6), दिनांक 07.03.2015
22	औद्योगिक निवेश की योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–77 / 2015 / 11 / (6), दिनांक 28.09.2015
23	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के प्रकरणों में अभिलेख ई.एम. भाग–1 के स्थान पर ''उद्यम आकांक्षा'' दाखिल करने बाबत्।	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–20–4–2016–11 (6) दिनांक 6 फरवरी, 2016
24	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत्	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–20–86–2015 / ग्यारह (छै) दिनांक 28 जनवरी, 2016

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

इस योजना के अधीन, राज्य में दिनांक 04.03.2016 की स्थिति में कुल 4,57,765 प्रकरणों में रू. 1738.76 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है एवं स्वीकृत ऋण के विरूद्ध रू. 1629.79 करोड़ का वितरण भी हुआ है। इस योजना में तीन श्रेणियों हेतु बैंको से माध्यम से ऋण दिया जाता है। श्रेणियाँ निम्नानुसार है –

1. ''शिशु'' में रू. 50000 तक
2. ''किशोर'' में रू. 50000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक
3. ''तरूण'' रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक ऋण बैंको के माध्यम से दिया जाता है।

यह योजना सूक्ष्म श्रेणी हेतु स्वयं का व्यवसाय / उद्यम की स्थापना के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण

(6) वित्तीय वर्ष 2015-16 में औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां

6.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग :

क्रं.	विवरण	2015-16 (जनवरी 2016 तक)		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 लाख में)	रोजगार
1	कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	641	23187.63	5124
2	कुल स्थापित उद्योगों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	55	208.24	194
3	कुल स्थापित उद्योगों में से महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, अप्रवासी भारतीय, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन	155	11531.44	1612

6.2 स्थापित मध्यम-वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

क्रं.	विवरण	2015-16 (जनवरी 2016 तक)		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 लाख में)	रोजगार
1	स्थापित मध्य–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	06	3987.38	1783
2	वर्षांत तक राज्य में कुल स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	315	82532.72	115724

6.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश की स्थिति -

वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक भारत शासन, उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन (आई0ई0एम0)

संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0 करोड़ में)
117	36511

6.4 2015-16 (माह अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय की गयी छूट व रियायतें :-

क्र.	रियायत का विवरण	संख्या
(अ)	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण–पत्र	658
(ब)	प्रवेश कर भुगतान से छूट पात्रता प्रमाण–पत्र	8
(स)	विद्युत शुल्क भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा–पत्र	16

6.5 वर्ष 2015-16 (माह अप्रैल, 2015 से जनवरी 2016 तक) आबंटित अनुदान :-

क्र.	अनुदान का विवरण	कुल आबंटित राशि (राशि रू. करोड़ में)
(1)	ब्याज अनुदान	38.88
(2)	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	32.28
(3)	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	0.19
(4)	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	0.04
(5)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी अनुदान	0.53
(6)	अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान	15.00
(7)	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान	0.54

6.6 सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठियों का आयोजन :-

राज्य के समस्त जिलों में सूक्ष्म, एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सतत रूप से जारी है, इन आयोजनों में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के

एम.एस.एम.ई. कार्यशाला, रायगढ़

एम.एस.एम.ई. कार्यशाला, बीजापुर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु राज्य के हर जिले में कार्यशाला का आयोजन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय बैंकों, विदेशी व्यापार कार्यालय, नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सीपेट (CIPET), राज्य स्तरीय बैंकों के अधिकारियों द्वारा जिले के युवावर्ग उद्यमियों एवं निवेशकों को उद्योग स्थापना व भारत सरकार तथा राज्य शासन की योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है तथा पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। कार्यशाला की सफलता में जिला स्तरीय औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है व आयोजनों में उनकी सहभागिता है।

6.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :-

भारत सरकार व्दारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं संशोधित की गयी है जिसके अनुसार इन उद्यमों में यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 25.00 लाख तक, 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक एवं 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की गयी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576 (ई) दिनांक 18.09.2015 से उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने की व्यवस्था लागू की है, इस अधिसूचना से राज्य में ई.एम. पार्ट–1 एवं ई.एम. पार्ट–2 दाखिल करने संबंधी व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट–1 के स्थान पर राज्य में ''उद्यम आकांक्षा'' (Udyam Aakansha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2015 से प्रभावशील की है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

माह जनवरी, 2016 तक, 19 प्रकरणों का निपटारा किया है, जिसमें से 12 प्रकरणों में रू. 1087 लाख के अवार्ड पारित किये गये, 07 प्रकरणों में समझौता कराया गया एवं रू. 78.08 लाख का भुगतान भी कराया गया है।

6.8 छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना :-

छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना के तहत् वर्ष 2014–15 हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की श्रेणी में मापदंड समग्र मूल्यांकन, निर्यात संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के मापदंड, महिला उद्यमियों तथा वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में मापदंड औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नियमों के तहत् उद्यमियों को चयन किया जाता है। चयनित उद्यमियों का प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1.00 लाख, 0. 51 लाख व 0.31 लाख व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2014–15 हेतु 11 उद्यमियों का चयन किया गया है।

6.9 उद्योग संचालनालय के अधीन विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूमि का विवरण (एकड़ में)		
			कुल भूमि	आबंटन योग्य भूमि	आबंटित भूमि
1	2	3	4	5	6
1	राजनांदगांव	औ0 क्षे0 राजनांदगांव	19.12	15.46	15.46
		औ0 क्षे0 मोहारा	6.00	6.00	6.00
		औ0 क्षे0 सोमनी	10.00	6.25	6.25
		औ0 क्षे0 गठुला	4.00	1.00	1.00
		ग्रामीण कर्मशाला डोंगरगढ़	3.00	1.30	1.30
2	दुर्ग	औ0 संस्थान दुर्ग	53.71	40.31	40.31
		औ0 संस्थान भिलाई	221.52	195.00	195.00
		भारी औ0 क्षे0 भिलाई	1360.00	402.51	402.51
		हल्का औ0 क्षे0 भिलाई	716.14	459.126	459.126
3	बालोद	ग्रामीण कर्मशाला बालोद	1.50	1.50	1.50
4	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औ0 संस्थान रायगढ़	24.21	12.87	12.87
		ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	2.50	2.50	2.50
5	कोरबा	औ0क्षे0 कोरबा	100.00	55.92	55.92
6	जांजगीर–चांपा	औ0 क्षे0 चांपा	21.54	11.69	11.69
7	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औ0 संस्थान, अंबिकापुर	23.45	17.45	17.45
8	कोरिया	औ0 क्षे0 चैनपुर ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	6.14 0.24	4.51 0.24	4.16 0.24
9	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औ0 संस्थान, फ्रेजरपुर	31.53	31.53	31.53
		औ0 क्षे0 गीदम रोड़	33.75	25.84	25.84
		औ0 क्षे0 कुरन्दी	184.92	16.86	16.86
		औ0 क्षे0 पंडरीपानी	12.05	12.05	12.05
		औ0 क्षे0 जगदलपुर	0.07	0.07	0.07
10	जशपुरनगर	अर्द्धशहरीय औ0 क्षे0 गम्हरिया	10.00	6.03	4.75
11	सूरजपुर	औ0 क्षे0 अजीरमा	15.00	6.77	6.77
12	कोण्डागांव	औ0 क्षे0 कोण्डागांव	6.50	6.50	2.90
13	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	5.25	3.23	3.23

पंजीयक-फर्म्स एवं संस्थाएं

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं का मुख्यालय विभागाध्यक्ष भवन नया रायपुर में है। इसका एकमात्र संभागीय कार्यालय बिलासपुर में सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं के अधीन कार्यरत है। पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए की पद संरचना **परिशिष्ट-दो** पर संलग्न है।

1. दायित्व -

रजिस्ट्रार को निम्न अधिनियमों के तहत् पंजीयन एवं प्रशासन का कार्य सौंपा गया है :–

(अ) भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 – इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मो का पंजीयन किया जाता है तथा समय–समय पर भागीदारों में व फर्मो की रचना में जो परिवर्तन होते है उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मो में भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती है।

(ब) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 – इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य जन–कल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसिओं, अर्द्ध– शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष आडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, प्रशासक की नियुक्ति जैसे आदि कार्य किया जाता है। संस्था के विधान में जो संशोधन समय–समय पर किया जाता है उनको भी अनुमोदित कर रिकार्ड पर लिया जाता है। संस्था को प्रेषित जानकारियों पर भी कार्यवाही की जाती है।

2. सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या :-

इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 01.04.2015 से 31.01.2016 तक किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

2.1	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत समितियों की संख्या पंजीकृत सोसायटी (दिनांक 01.04.2015 से 31.01.2016 तक)	–	6066
	कुल पंजीकृत समितियों की संख्या	–	84,611
2.2	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म्स पंजीकृत फर्म (दिनांक 01.04.2015 से 31.01.2016 तक)	–	1282
	कुल पंजीकृत फर्मो की संख्या	–	30,186

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय का मुख्यालय रायपुर में है। यह मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अधीन कार्य कर रहा है। इसका अन्य कोई कार्यालय राज्य में स्थापित नहीं है। वाष्पयंष निरीक्षकालय की पद संरचना **परिशिष्ट-तीन** पर संलग्न है।

उद्देश्य :-

वाष्पयंत्र (बॉयलर) स्टील की प्लेट, ट्यूबों एवं पाइपों से निर्मित एक यंत्र है जिसमें पानी को गरम कर अत्यंत उच्च दाब एवं तापक्रम की वाष्प (स्टीम) का उत्पादन किया जाता है। वाष्पयंत्र का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न चरणों में ऊष्मा प्रदान करने हेतु किया जाता है। राज्य के विभिन्न उद्योगों में वाष्पयंत्र स्थापित हैं। यदि इन वाष्पयंत्रों का सही उपयोग, उच्च दर्जे का रख–रखाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परिचालन एवं उचित संरचना न हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है जिससे जन–धन की काफी क्षति हो सकती है।

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम, 1923 अधिसूचित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत बॉयलर विनियम, 1950 बनाए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्थापना की गई है। बॉयलर अधिनियम, 1923 व इसके तहत बनाए गए विनियमों एवं नियमों को राज्य में प्रभावी करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे।

दिनांक 01-04-2015 से 31-12-2015 तक की अवधि में कार्य निष्पादन विवरण :-

1. **वाष्पयंत्रों का निरीक्षण :-** वाष्पयंत्र निरीक्षकालय द्वारा उपरोक्त अवधि में किये गए निरीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है :–

संपूर्ण निरीक्षण	767
जलभार परीक्षण	697
नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन	67
वाष्पयंत्रों के प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण	594
वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण–पत्र	184
दुरुस्त हुए वाष्पयंत्र	80

राज्य में कुल 1144 वाष्पयंत्र स्थापित हैं। इनमें से 767 वाष्पयंत्रों का निरीक्षण संबंधित इकाइयों द्वारा कराया गया।

2. **वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :-** भारत सरकार की Ease of Doing Business योजना तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्व–प्रमाणीकरण की व्यवस्था वाणिज्य एवं

उद्योग विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.03.2015 द्वारा लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बायलर आपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले प्रपत्रों/घोषणा पत्र/शपथ पत्र आदि में नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

वर्तमान में कुल 23 इकाईयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया गया है।

3. **बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) के तहत छूट :-** वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाइयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी–कभी आपात स्थिति में जब इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 34(2) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके।

4. **केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड -** मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है। इसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में समय–समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय–समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13.12.2007 द्वारा बॉयलर अधिनियम, 1923 में संशोधन किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 27.05.2008 एवं 07.10.2010 द्वारा उक्त संशोधनों को लागू किया गया है। अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप बॉयलर अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर आपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के राज्य शासन के अधिकार समाप्त कर भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को ये अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानांतर प्राइवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

5. **बायलर परिचर परीक्षक मंडल –** भारत सरकार द्वारा बनाये गये बायलर परिचर नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत बायलर परिचर की क्षमता का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत दस सदस्यीय परीक्षक मंडल का गठन आदेश क्र. एफ 8–6/2005/11/6 दिनांक 22–01–15 द्वारा किया गया। परीक्षक मंडल द्वारा द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा रायपुर में दिनांक 26.05.2015 से 30.05.2015 तक आयोजित की गई। द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा में कुल 310 परीक्षार्थी शामिल हुये, जिनमें से 161 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये, प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा में कुल 410 परीक्षार्थी शामिल हुये, जिनमें से 175 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये।

6. **बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल –** भारत सरकार द्वारा बनाये गये बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत बायलर प्रचालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत दस सदस्यीय परीक्षक मंडल का गठन आदेश क्र. एफ 8–6/2005/11/6 दिनांक 26–09–11 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा नवीन परीक्षक मंडल का गठन आदेश क्रमांक एफ 8–6/2005/11/6 दिनांक 22.01.2015 द्वारा किया गया। परीक्षक मंडल द्वारा परीक्षा भिलाई में दिनांक 08.06.2015 से 11.06.2015 तक आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 366 परीक्षार्थी शामिल हुये जिनमें से कुल 134 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये।

बजट एवं वित्तीय स्थिति :-

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2015–16 में रु. 131.35 लाख का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2015–16 हेतु रु. 130.00 लाख के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

01–04–2015 से 31–12–2015 तक की अवधि में आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

अवधि	आय	व्यय	शुद्ध बचत
01–04–2015 से 31–12–2015	रु. 157.72 लाख	रु. 59.70 लाख	रु. 98.02 लाख

विशेष उपलब्धियाँ :

(1) भारत सरकार की Ease of doing business नीति तथा राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुरूप बायलरों के सेल्फ सर्टीफिकेशन/थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–2/2011/11/(6) दिनांक 20.03.2015 द्वारा लागू की गई।

(2) राजस्व प्राप्ति रू. 130.00 लाख का लक्ष्य माह दिसंबर, 2015 में पूर्ण हुआ। कुल राजस्व प्राप्ति रू. 130.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध कुल राजस्व प्राप्ति रू. 157.72 लाख हुई।

(3) कुल राजस्व प्राप्ति रू. 157.72 लाख के विरूद्ध कुल व्यय रु. 59.70 लाख हुआ जिससे शासन को रु. 98.02 लाख की शुद्ध बचत हुई।

(4) माह मई, 2015 में बायलर अटेंडेंट प्रथम श्रेणी एव द्वितीय श्रेणी की परीक्षा आयोजित की गई तथा माह जून, 2015 में बायलर प्रचालन इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई।

(5) केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सहयोग से वाष्पयंत्रो के आपरेशन, मेंटनेस तथा सुरक्षा विषय पर वाष्पयंत्र आपरेटरों हेतु सेमीनारों का आयोजन किया गया।

(6) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 14 इकाईयां स्थापित हो चुकी है। इन इकाईयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।

(7) बॉयलर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत राज्य में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

(8) केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपूर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी तथा वेल्डरों की परीक्षा एवं उनके प्रमाणीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।

(9) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत कई केप्टिव पावर प्लांट तथा थर्मल पावर प्लांट में वाष्पयंत्रों की स्थापना हो रही है, निम्नलिखित पावर प्लांटों में स्थापित हुये वाष्पयंत्रों का जलभार परीक्षण वाष्पयंत्र निरीक्षकालय द्वारा पूर्ण किया गया है।

सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित वृहद उत्पादन

विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/उपक्रम

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बोर्ड के संयोजक हैं। जिला समितियों के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर, मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयोजक हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की पद संरचना **परिशिष्ट-चार** पर संलग्न है।

रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में तथा रूपये 10 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए जिला समिति जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। बोर्ड कार्यालय तथा जिला समिति निवेशकों के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' के रूप में कार्य करते हैं जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों/विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से कार्य सम्पन्न होते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2002 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 बनाये गये हैं। इन नियमों के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों/एजेंसियों से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने समयावधि निश्चित कर दी गई है।

वर्ष 2015 के पूर्व के 121 एम.ओ.यू. प्रभावशील है, जिसमें कुल रूपये 1,92,126 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इनमें से 60 उत्पादनरत उद्योगों में 51 नवीन परियोजनाएं एवं 09 विस्तारित परियोजनाएं है। इन प्रभावशील एम.ओ.यू. परियोजनाओं में अभी तक रूपये 61,155.61 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।

नान–कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में विभिन्न विभागों द्वारा 275 एम.ओ.यू. निष्पादित किए गए थे, उद्योग विभाग द्वारा निष्पादित 58 एम.ओ.यू. में से 16 में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा इसमें रूपये 591.77 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।

नान–कोर सेक्टर के तहत वर्ष 2015–16 में मेगा फूडपार्क, कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव इलेक्ट्रानिक्स, आईटी सिस्टम एंड हार्डवेयर, टेलीकाम प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट, मोबाइल डिवाइस, सोलर फोटोवाल्टिक, उत्पादों/आयटमों को राज्य में बढ़ावा देने 55,269 करोड़ रूपये के 31 एम.ओ.यू. निष्पादित किये गये हैं।

वर्ष 2015–16 के लिए राज्य में स्थित स्पंज आयरन, स्टील, पैलेट प्लांट संयंत्रों हेतु 5 मिलियन टन लम्प्स एवं 3 मिलियन टन फाइन्स लौह अयस्क इकाइयों की क्षमतानुसार प्रदाय करने एन.एम.डी.सी. को अनुशंसा की गई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड है। यह निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रू0 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रू0 1.60 करोड़ है।

राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निगम, (1) म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रायपुर, (2) म0प्र0लघु उद्योग निगम (3) म0प्र0 राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म0प्र0 निर्यात निगम (6) म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम एवं (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन इसमें समाहित है।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा–प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चा माल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, प्रति वर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन निगम के कर्त्तव्यों में है। छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0की पद संरचना **परिशिष्ट-पांच** पर संलग्न है।

बुनियादी अधोसंरचना - सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता

1. स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	विकास केन्द्र/ औ. क्षेत्र का नाम	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टे)	स्थापित उद्योग (संख्या)	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ में)	रोजगार (संख्या)
1	सिलतरा (रायपुर)	872.00	135	2143.53	5793
2	बोरई (दुर्ग)	192.00	118	2116.60	3344
3	उरला (रायपुर)	270.00	329	561.30	13645
4	सिरगिट्टी (बिलासपुर)	235.76	313	507.79	5036
5	रानी दुर्गावती–औ. क्षेत्र अंजनी (पेंड्रारोड)	10.89	19	10.76	359
6	बिरकोनी (महासमुंद)	49.00	28	19.00	210
7	हरिनछपरा (कबीरधाम)	11.4061	07	2.00	150
8	नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा)	24.06	43	80.85	785
9	सिलपहरी (बिलासपुर)	134.42	10	200.18	840
10	तिफरा (बिलासपुर)	39.48	118	12.10	850
11	रावांभाटा (रायपुर)	37.18	70	34.403	681
12	भनपुरी (रायपुर)	103.48	175	201.78	1677
13	आमासिवनी (रायपुर)	10.04	27	21.096	225
14	कापन (जांजगीर–चांपा)	55.98	–	–	–
15	टेकनार (दंतेवाड़ा)	15.325	1	0.22	4

2. औद्योगिक पार्क

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित/स्थापनाधीन किए जा रहे पार्कों का विवरण निम्नानुसार है–

2.1 मेटल पार्क

रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में स्थापित ''मेटल पार्क'' की कुल 87.57 हेक्टेयर भूमि में से फेस–I की 19.93 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क स्थापित हो चुका है।

2.2 इंजीनियरिंग पार्क

भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.918 हेक्टेयर भूमि पर इंजीनियरिंग उत्पादों हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में आबंटन योग्य भूमि 97.611 हेक्टेयर है तथा कुल औद्योगिक भू–खण्डों की संख्या 215 है।

2.3 मेगा फूड पार्क

ग्राम बगौद जिला धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, परियोजना की अनुमानित कुल लागत रू. 45.00 करोड़ है। इस औद्योगिक पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये कामन फेसिलिटी सेंटर यथा परीक्षण प्रयोगशाला, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, रॉ मटेरियल व्यवस्था, पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी,

2.4 प्लास्टिक पार्क

राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरझीटी में 100 एकड़ भूमि पर ''प्लास्टिक पार्क'', जिसकी परियोजना लागत रु. 103 करोड़ है, की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस पार्क की स्थापना से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इस पार्क में सीमेंट हेतु प्लास्टिक बैग, इन्जेक्शन मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, प्लास्टिक पाईप, फर्नीचर, प्लास्टिक के घरेलू उत्पादों का निर्माण किया जायेगा। प्लास्टिक पार्क की स्थापना एस.पी.व्ही. के माध्यम से की जानी है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाना है।

2.5 एल्यूमीनियम पार्क

ग्राम दोदरो जिला कोरबा में 100 हेक्टेयर भूमि पर एल्यूमीनियम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, स्थानीय रुप से एल्यूमीनियम का मूल्य संवर्धन होने से उद्यमियों को लाभ होगा, इस पार्क में एल्यूमीनियम के उत्पादों से संबंधित इकाईयों की स्थापना की जाएगी, परियोजना की अनुमानित लागत रु. 700.00 करोड़ है।

2.6 इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर

सीएसआईडीसी को नया रायपुर में आबंटित 70 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है।

इलेक्ट्रानिक क्लस्टर में इलेक्ट्रानिक आयटम यथा इलेक्ट्रानिक पेनल, मेडिकल इलेक्ट्रानिक डिवाइस, इलेक्ट्रानिक गजट्स, होम थियेटर, यू.एस.बी. इलेक्ट्रानिक गुड्स, कार्मिशियल लाईट, माइक्रो

इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई का लोकार्पण

ट्रांसफार्मर क्वाइल, चार्जर, मोबाईल, सी.सी. टीवी कैमरा, टेलीविजन, कम्प्यूटर हार्ड, कम्प्यूटर पैरीफेरल्स डिवाइस आदि की स्थापना होगी।

उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा सीएसआईडीसी को अधिकृत किया गया है।

परियोजना की कुल लागत लगभग रु. 105.23 करोड़ है तथा भारत सरकार द्वारा 43.00 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.02.2016 को किया गया।

3. व्यावसायिक गतिविधियां

3.1 भूमि आबंटन

औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 33 इकाईयां	रकबा	218.550 हेक्टेयर
	प्राप्ति रू.	23.283 करोड़

3.2 लघु उद्योगों को विपणन सुविधा

राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)'' में संशोधन किये गये है, जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भंडार क्रय नियमों की परिधि में रहेगें, भंडार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की आरक्षित सूची में कुल 65 आयटम/उत्पाद सूचीबद्ध है।

राज्य के लघु उद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भंडार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित

लघु उद्योग इकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता एवं क्रय अधिमान्यता स्थानीय लघु उद्योगों इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता का लाभ स्थानीय लद्यु उद्योग इकाईयों को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य मे स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लद्यु उद्योगों को अन्य उद्योगों के विरूद्ध 10 प्रतिशत क्रय अधिमान्यता भी प्रदान की गई है।

भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की सूची में सम्मिलित सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियॉ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निगम द्वारा ई–निविदा प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आंमत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॉ अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के तहत निगम द्वारा दर निर्धारण किया जाता है तथा पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादित किया जाता है। परिशिष्ट–1 में सम्मिलित सामग्री के निर्धारित दर सूची एवं अनुबंधित इकाईयों की सूची विभागीय वेबसाईट www.csidc.in पर क्रेता विभागों के लिए सुलभ संदर्भ हेतु प्रसारित की जाती है।

वर्ष 2015–16 में कुल 31 सामग्रियों की दर निर्धारित की गई है, दर अनुबंध में कुल 345 इकाईयॉ अनुबंधित हैं। ई–प्रोक्यूरमेंट योजना के अंतर्गत आरक्षित सामग्री के दर निर्धारण हेतु ई–निविदा (ई–टेंडरिंग) आमंत्रित कर दर अनुबंध निष्पादन का कार्य सतत् किया जा रहा है।

उद्योग भवन रायपुर - औद्योगिक विकास का प्रवेश द्वार

3.3 लघु उद्योगों को कच्चे माल की सुविधा

3.3.1 भिलाई स्थित कच्चामाल डिपो से लघु उद्योग इकाईयों को वायर राड का

विक्रय	मात्रा	14908.99 मेट्रिक टन
	विक्रय राशि रू.	47.68 करोड़

3.3.2 लघु उद्योगों को कोल आबंटन

मात्रा	54548.58 मेट्रिक टन
इकाइयाँ	119

3.4 फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन

अ – फर्नीचर वर्क्स अभनपुर

उत्पादन रू.	150.96 लाख
विक्रय रू.	167.04 लाख

ब – कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई

उत्पादन रू.	554.66 लाख
विक्रय रु.	552.66 लाख

3.5 लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा -

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल, सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण, सेम्पल परीक्षित–5631, आय रूपये–32.31 लाख

3.6 सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, सिलतरा

रायपुर जिले कें सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यावसायिक दुकाने–108 / कार्यालय–12 / रेस्टोरेंट–1) निर्मित है।

3.7 व्यावसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान –11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये है तथा आबंटित हैं।

3.8 व्यावसायिक परिसर बिरकोनी, महासमुंद

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत 10 दुकानो का निर्माण किया गया है।

3.9 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछापरा, कबीरधाम

राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछापरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया, जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन, कुल 7 निर्मित है।

3.10 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी मे एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोदामों निर्माण किया गया है ।

3.11 वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर

राज्य के रायपुर शहर मे निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत ए.टी.डी.सी. को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है, साथ ही पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन तथा रेल कारीडोर परियोजना हतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेल लिमि. को स्थान किराए पर उपलब्ध कराया गया है।

3.12 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी है के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नया रायपुर में एन.आर. डी.ए. से प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की वास्तु परिकल्पना (Architectural Planning) का कार्य मेसर्स कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस (CES) नई दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। कान्सेप्ट प्लॉन के आधार पर कुल 100 एकड़ भूमि एवं परियोजना विकास कार्यों की प्रथम चरण लागत को मिलाकर कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत रू. 188.45 करोड़ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की तीव्र गति के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष लगभग 7–8 विभिन्न प्रकार के बड़े एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक एवं व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष राज्योत्सव के वृहद् कार्यक्रम का आयोजन माह नवम्बर में किया जाता है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में राज्य में प्रथम बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन भी इस विकसित हो रहे परिसर में सफलतापूर्वक किया गया।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य शासन के बजट से राशि की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त परियोजना आगामी 04 वर्षों अर्थात् 2019–20 में पूर्ण किया जाना संभावित है।

3.13 परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई

परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीयस्तर पर मान्य हैं।

3.14 टूल रूम की स्थापना

भारत सरकार की टूल रूम की योजना के तहत् विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल

कार्पोरेशन लि0 द्वारा विकास केन्द्र बोरई जिला दुर्ग में 25 एकड़ भूमि विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को टूल रूम की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, टूल रूम की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

3.15 आनलाईन भुगतान सुविधा

सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु आनलाईन सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

3.16 भू-आवंटन पत्रों को आनलाईन प्राप्त करना

भू–आवंटन के लिये आनलाईन भूमि आबंटन आवदेन पत्र की सुविधा प्रारंभ की गई है।

3.17 अन्य मुख्य कार्यकलाप

1. नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2015 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व ''सी0एस0आई0डी0सी0'' द्वारा नोडल एजेंसी के रुप सफलतापूर्वक किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के पेवेलियन को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. वर्ष 2016 में नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में राज्य की ओर से सीएसआईडीसी द्वारा भाग लिया गया।
3. वर्ष 2016 में गांधी नगर, गुजरात में आयोजित वाईब्रेंट गुजरात समारोह में राज्य की ओर से सीएसआईडीसी द्वारा भाग लिया गया।
4. विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है, इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, सी.एस.आई.डी.सी. की वेबसाइट www.csidc.in है।

3.18 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

1. रोड शो का आयोजन – मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बैंगलुरू।
2. ''मेक इन इंडिया वीक'' मुंबई में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

दायित्य एवं कर्तव्य

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली से संबंधित पथ–प्रदर्शन के व्यवस्थापन, सामान्य समस्यायें एवं रिपोर्टिंग पद्वतियों के समन्वयन का कार्य किया जाता है। राज्य में कुल 16 सार्वजनिक उपक्रम कार्यशील है। जिनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यरत होने की तिथि
1	छ.ग.स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	02 मई 2002
2	छ.ग. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,	26 फरवरी 2001
3	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड,	8 अक्टूबर 2004
4	छ.ग.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड,	14 दिसंबर 2011
5	छ.ग.मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,	07 जून 2001
6	छ.ग.स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड,	07 नवम्बर 2011
7	छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन,	07 अक्टूबर 2010
8	छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,	अप्रेल 2001
9	छ.ग.राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी,	15 नवम्बर 2000
10	छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, लिमिटेड,	15 नवम्बर 2000
11	छ.ग.राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड, रायपुर	15 नवम्बर 2000
12	छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कंपनी, लिमिटेड,	15 नवम्बर 2000
13	छ.ग.राज्य विद्युत पारेषण कंपनी,	15 नवम्बर 2000
14	छ.ग.वन विकास निगम लिमिटेड,	01 मई 2001
15	छ.ग.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,	16 नवम्बर 1981
16	छ.ग.सड़क विकास निगम लिमिटेड	11 नवम्बर 2014

MAKE IN INDIA

MAKE IN CHHATTISGARH

भाग-2
बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तीन अंगो यथा उद्योग संचालनालय, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या–11 के अतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। इस मद मे अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य कार्यालयीन व्ययों का भुगतान किया जाता है।

आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है, यह बजट मांग संख्या–11, मांग संख्या–41 तथा मांग संख्या–64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2015–16 का योजनावार बजट प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2015-16	आबंटित राशि (माह जनवरी 2016 तक)
1	2	3	4	5
		आयोजना		
		लेखा शीर्ष 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग		
1	3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना	10.00	10.00
2	6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	3800.00	3098.91
3	1175	ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	15.00	15.00
4	5468	पंजीकृत लघु उद्योगों (सीडो इकाईयों) की चतुर्थ संगणना	0.10	0.00
		योग :-	**3825.10**	**3123.91**
		2852-उद्योग		
5	5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना (SIPB)	20.00	20.00
6	4197	शासकीय कर्मचारियों/अशासकीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम	7.00	7.00
7	7394	नेशनल इंस्टीट्यूट आंफ फेशन टेक्नालाजी	0.10	0.00
8	711	औद्योगिक परियोजना तथा सर्वेक्षण की योजना	19.00	19.00
9	4826	आई.एस.ओ. 9000 के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति	4.00	4.00
10	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (IIDC)	2000.00	2000.00
11	5447	तकनीकी पेटेंट अनुदान	0.10	0.00
12	5450	समूह आधारित उद्योगों का विकास (टेस्टिंग लैब भिलाई)	35.00	35.00
13	5586	निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता (ASIDE)	602.00	584.00

(रू. लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2015-16	आबंटित राशि (माह जनवरी 2016 तक)
1	2	3	4	5
14	8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	500.00	298.95
15	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	1900.00	1900.00
16	8890	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1200.00	0.00
17	1389	यातायात अनुदान (भारित)	0.10	0.00
18	8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	130.00	130.00
19	9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	2000.00	993.60
20	5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	1.90	1.90
21	7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	53.43	53.43
		योग :-	**8472.63**	**6046.88**
		4851-दो पूंजी अनुभाग		
22	5614	उद्योग भवन का निर्माण	10.00	10.00
23	6742	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान	2500.00	1000.00
24	6888	छत्तीसगढ़ ब्यापार केन्द्र की स्थापना	2600.00	2600.00
25	8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य	2107.00	2107.00
26	9219	भू–अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान		
	#15	डिक्रीधन का भुगतान	10.00	10.00
	#31	क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	1231.00	1231.00
27	9220	सर्वे तथा डिमार्केशन	5.00	5.00
		योग :-	**8463.00**	**6963.00**
		4852		
28	5382	अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान	1500.00	1500.00
		6851		
29	5451	**अंशपूंजी सहायता योजना**	1.00	0.00
		मांग संख्या-11 महायोग	22261.73	17633.79
		मांग संख्या-41		
30	6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	1000.00	624.07
		योग-2851	**1000.00**	**624.07**
31	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (IIDC)	1.00	0.00
32	5451	अंशपूंजी सहायता योजना	20.00	8.00
33	6932	अपारेल ट्रेनिंग डिजाईन सेंटर (ATDC) की स्थापना	20.00	20.00

(रू. लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2015-16	आबंटित राशि (माह जनवरी 2016 तक)
1	2	3	4	5
34	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	1900.00	1128.61
		योग-2852	**1941.00**	**1156.61**
35	5642	दल्लीराजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल लाईन परियोजना	1.00	0.00
		योग-4851	**1.00**	**0.00**
		योग मांग संख्या-41	**2942.00**	**1780.68**
		मांग संख्या-64		
36	6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	165.00	165.00
		योग-2851	**165.00**	**165.00**
37	5451	अंशपूंजी सहायता योजना	45.00	45.00
38	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	200.00	200.00
		योग-2852	**245.00**	**245.00**
		योग मांग संख्या-64	**410.00**	**410.00**
		महायोग मांग संख्या-11, 41 एवं 64	**25613.73**	**19824.47**
		आयोजनेत्तर		
	1464	जिला उद्योग केन्द्र (2851)	1843.16	1843.16
	3370	संचालनालय उद्योग (2852)	798.85	798.85
	5520	सी..एस.आई.डी.सी. रायपुर (2852)	160.00	160.00
		आयोजनेत्तर महायोग:-	**2802.01**	**2802.01**

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के साथ उद्योग/व्यापार को बढ़ावा

भाग-3
योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं

राज्य के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए 01 नवम्बर 2014 से प्रभावशील नवीन औद्योगिक नीति 2014–19 में निम्नानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएं रखी गई है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:–

3.1.1 ब्याज अनुदान योजना -

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट की नवीन स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण हेतु बैंकों से लिये गये सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान।

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग :-

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख वार्षिक।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 15.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 60 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 30.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 50.00 लाख वार्षिक।

(2) मध्यम एवं वृहद् उद्योग -

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 25 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख वार्षिक।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को सामान्य उद्योगों की श्रेणी में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 06 वर्ष की अवधि तक– अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों को सामान्य उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 05 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख वार्षिक।

प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर भुगतान किये गये ब्याज का 60 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत, 07 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख वार्षिक ।

(3) मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स -

(केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई,टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट–मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/ उपकरण/स्पेयर्स) के उद्योगों हेतु

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 50 प्रतिशत, 06 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 06 वर्ष की अवधि तक– अधिकतम सीमा रूपये 70.00 लाख वार्षिक

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 70 प्रतिशत, 08 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 100.00 लाख वार्षिक।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 08 वर्ष की अवधि तक–अधिकतम सीमा रूपये 120.00 लाख वार्षिक।

पर्यावरण संतुलन के साथ औद्योगिक विकास

3.1.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

सूक्ष्म एवं लघु, उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योग के विस्तार/शवलीकरण पर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान।

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 30.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा–सामान्य श्रेणी के उद्योग रूपये 40.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग रूपये 80.00 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 80.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा– सामान्य श्रेणी के उद्योग रूपये 80.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग रूपये 120.00 लाख।

(2) मध्यम उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 60 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 70.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा– सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 80.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 100.00 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा– रूपये 70.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 100.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा–सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 90.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 125.00 लाख।

(3) वृहद उद्योग :-

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 90.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा– रूपये 110.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा– सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 100.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 120.00 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा– रूपये 100.00 लाख। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 120.00 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा–सामान्य श्रेणी के उद्योगों को रूपये 120.00 लाख एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को रूपये 140.00 लाख।

(4) मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किसी भी श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा 350.00 लाख रूपये

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किसी भी श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 500.00 लाख रूपये।

3.1.3 विद्युत शुल्क से छूट (केवल पात्र नवीन उद्योगों की स्थापना पर)

(1) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 05 वर्ष तक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 07 वर्ष तक पूर्ण छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों के केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग स्थापित करने पर 07 वर्ष तक एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों के सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट।

(2) मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों के नवीन उद्योगों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट ।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को केवल नवीन उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से सामान्य उद्योग/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर 12 वर्ष तक छूट ।

3.1.4 - स्टाम्प शुल्क से छूट (निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को कोर सेक्टर सहित)

1— नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण हेतु— भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

2— नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण हेतु— ऋण—अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

3— औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू—खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/ क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू—स्वामियों द्वारा भू—अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू—अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

4— भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग

5— औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू—खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर

6— बंद / बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय—विक्रय से संबंधित विलेखों पर

7— फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय / पट्टे पर ली गई भूमि पर

8— लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय / पट्टे पर ली गई भूमि पर।

3.1.5 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत

(1) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू—प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य / प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू—प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट, प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू—प्रब्याजि में 60 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा सामान्य / प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट ।

(2) वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - भू—प्रब्याजि में 20 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - भू—प्रब्याजि में 25 प्रतिशत छूट।

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर विशेष रियायतें एवं सुविधाएँ

1— औद्योगिक प्रयोजनों एवं सेवा उद्यमों पर भी भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट।

2— भू—भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक।

3— औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू—खण्डों का औद्योगिक क्षेत्रों में 02 वर्ष तक आरक्षण।

4— अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उप योजना के बजट से लघु शेडों का निर्माण।

5— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।

3.1.6 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग :

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र - सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1.00 लाख

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.50 लाख

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र - सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.00 लाख

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख।

3.1.7 भूमि उपयोग में परिवर्तन

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट।

3.1.8 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू-आबंटन सेवा शुल्क

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त भूमि के संबंध में सेवा शुल्क निम्नानुसार निरंतर रूप से जारी है :–

1– निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि।

2– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा निजी/शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि।

3.1.9 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग -

सामान्य वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई.एस.ओ.–18000, आई.एस.ओ.–22000, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक, या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 1.00 लाख (प्रत्येक प्रमाणीकरण) की प्रतिपूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय की 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम रूपये 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति।

3.1.10 तकनीकी पेटेंट अनुदान

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग -

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य/प्राथमिकता श्रेणी के नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत प्रत्येक पेटेंट हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रूपये 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के उद्यमियों को किये गये व्यय की 60 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 6.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

3.1.11 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान -

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख की प्रतिपूर्ति।

3.1.12 मार्जिन मनी अनुदान

राज्य के महिला उद्यमी, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में रूपये 5.00 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अधिकतम सीमा रू. 35 लाख।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी उपरोक्तानुसार दर से अनुदान देय है, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख है, जिन्हें राज्य शासन की आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेष योजना से दिया जावेगा।

3.1.13 औद्योगिक पुरस्कार योजना (राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी को छोड़कर)

(1) राज्य स्तर पर

राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने, निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये कार्य को महत्ता प्रदान करने, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित 04 श्रेणियों में प्रति वर्ष चयनित उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रू. 1.00 लाख, रू.0.51 लाख एवं रू.0.31 लाख रूपये एवं प्रशस्ति पत्र :–

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु,
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग

(2) जिला स्तर पर

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार, पुरस्कार राशि रूपये 25,000 एवं प्रशस्ति पत्र।

3.1.14 राज्य में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का विकास

राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का राज्य में ही मूल्य आवर्धन करने, राज्य में कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य सेक्टर में औद्योगिक विकास करने, समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं ऐसे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने जिनका राज्य में पूर्ण विकास नहीं हुआ है किन्तु विकास की पर्याप्त संभावनाएं है, की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्राथमिकता उद्योगों के विकास की योजना को निरंतर रखा गया है। प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में वर्गीकरण आधारित एवं उत्पाद आधारित उद्योगों को "राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम पूंजी निवेश, प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश करना आवश्यक होगा।"

वर्तमान में वर्गीकरण के आधार पर 22 श्रेणी के उद्योगों को एवं उत्पाद के आधार पर 25 उद्योगों को प्राथमिकता उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया है जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–3 पर अंकित है ।

3.1.15 प्रवेश कर भुगतान से छूट -

निवेशकों की दृष्टि से सभी श्रेणी के उद्योगों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर परिशिष्ट–4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) की स्थापना पर

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 5 वर्ष तक छूट एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 6 वर्ष छूट।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार ही क्रमशः सामान्य उद्योगों को 06 वर्ष तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 07 वर्ष छूट।

टीप :-

1– कोर सेक्टर की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी।

2– औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

3.1.16 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान -

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर परिशिष्ट–4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति।

3.1.17 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) -

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान।

3.1.18 क्लस्टर विकास

राज्य में क्लस्टर विकास की नई योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें भारत सरकार से स्वीकृत होने वाले क्लस्टर को राज्य शासन द्वारा भी 10 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम सीमा रूपये 50.00 लाख प्रति क्लस्टर।

3.1.19 राईस मिलों का आधुनिकीकरण

राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी निवेश पर अधिकतम सीमा के अधीन औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगें। आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 1.00 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश करना आवश्यक हैं।

3.1.20 निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को की स्थापना

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट।

भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन के अनुदान की पात्रता नहीं तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि का अनुदान।

3.1.21 उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

राज्य में लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना, पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज का विस्तार में निवेश करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें तथा राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें

टीप :—

1— अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ प्रारंभ करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट।

2— महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों को सामान्य वर्ग उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट।

3— औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में नवीन भू—आबंटन प्राप्त करने वाले उद्योगों को अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से दिये जाने वाले अनुदान प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान, अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक सहित तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक।

औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला महासमुन्द

3.1.22 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 की योजनाएं

क्र.	पात्रता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर केन्द्रीय विक्रयकर में रियायत प्रतिपूर्ति	स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 10 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अर्न्तगत यह ''प्रोत्साहन सहायता'' प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले। सहायता राशि की गणना निर्मित माल के विक्रय पर देय वेट कर तथा निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर देय केन्द्रीय विक्रयकर के आधार पर की जावेगी।
2	प्रवेश कर	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से शत् प्रतिशत छूट 7 वर्ष की अवधि हेतु।
3	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु शत प्रतिशत छूट।
4	मंडी शुल्क छूट	कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडी से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।
5	संविदा खेती (Contract Farming) पर सुविधा	प्रदेश में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम–1972 के प्रावधान लागू किये गये हैं। इसके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत मंडी द्वारा विक्रेता (उत्पादक) एवं क्रेता के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध किया जावेगा एवं इसके माध्यम से संविदा खेती (Contract Farming) करायी जावेगी एवं दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण किया जावेगा।
6	एकल लायसेंस प्रणाली	एकल लायसेंस के आधार पर पूरे प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मंडियों में क्रय–विक्रय कर सकते हैं।
7	कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ	प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े उत्पादक कृषकों को योजनाओं का लाभ दिया जावेगा। उत्पादक कृषकों को विद्युत लाईन विस्तार अनुदान, नलकूप पर अनुदान, पम्प प्रतिस्थापन पर अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
8	एन.एच.एम., आर.के.व्ही.वाय. आदि के अनुरूप सुविधाएँ	एन.एच.एम., आर.के.व्ही.वाय. अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रोसेसर्स को भी अधोसंरचना के लिए आवश्यक सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा। जैसे–कोल्ड स्टोरेज, शीतगृह श्रंखला, पैकेजिंग हाउस, नेटशैड, ग्रीन हाउस, रायपनिंग चेंबर आदि।

टीप :-

1— इस नीति के अन्तर्गत नवीन इकाईयों की स्थापना/विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अन्तर्गत विस्तार करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रू0 1.00 करोड़ का निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./आई.ई.एम./ई.एम. पार्ट–1 जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर करना आवश्यक है।

2— कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 में उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान, छूट व रियायतों का लाभ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 में परिशिष्ट–एक में अंकित अपात्र उद्योगों की सूची में से दिनांक 01 नवंबर 2014 से पोहा उद्योग को विलोपित करते हुये सम्पूर्ण राज्य हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र तथा राईस मिल, पैडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लिनिंग एवं मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रांड साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट, खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) को औद्योगिक दृष्टि क्षेत्रों में पात्र घोषित किया गया हैं।

3— "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012" में उल्लेखित उपरोक्त अनुदान छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2014–19 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगें।

3.1.23 ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के तहत ''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन'' की नयी योजना प्रारंभ हुई है, इस मिशन में निम्न योजनाएँ समावेशित है :–

क्र.	योजना का नाम	अनुदान की दर	अधिकतम राशि
1	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 प्रतिशत	50.00 लाख
2	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास	(अ) परियोजना लागत का 35% लागत अनुदान (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6% की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु	500.00 लाख 200.00 लाख
3	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	250.00 लाख
4	रीफर वाहन योजना	कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत	50.00 लाख

3.1.24 ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 की योजनाएं

1-पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

क्र.	पात्र ता एवं सुविधा का विवरण	अनुदान, छूट व रियायतों का विवरण
1	मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति(निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जावेगी)	मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयवाधि 18 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट आटोमोटिव उद्योग इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अंर्तगत यह ''प्रोत्साहन सहायता'' प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।
2	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट	तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
3	प्रवेश कर भुगतान से छूट	परियोजना हेतु कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 100 प्रतिशत छूट 8 वर्ष की अवधि हेतु।
4	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष।
5	स्टाम्प ड्यूटी छूट अ–भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ पर	भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ के क्रय/पट्टे से संबंधित विलेखों पर 100 प्रतिशत
6	ब– ऋण विलेखों पर पंजीयन शुल्क पर छूट	औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुरूप देय । भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट।
टीप– इकाई द्वारा तीन वर्ष में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं लेने पर क्रमांक 5 एवं 6 की छूट निरस्त की जा सकेगी।		

2– इस नीति के अर्न्तगत नवीन इकाईयों की स्थापना/विद्यमान इकाईयों द्वारा विस्तार योजना अर्न्तगत विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन करने पर उपरोक्तानुसार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु ऑटोमोटिव उद्योगों में न्यूनतम रू. 1000 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन होने के दिनांक से 7 वर्ष के भीतर करना है एवं ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं है।

3– "ऑटोमोटिव उद्योग नीति–2012" में उल्लेखित उपरोक्त अनुदान छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2014–19 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगें।

3.1.25 मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना

1– युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ है।

2– इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन की ओर से युवा वर्ग को आर्थिक सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन व सहारा देकर युवा वर्ग को यह एहसास कराया है कि उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है।

3– पात्रता –

3.1 आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हों।

3.2 आवेदक न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण हों।

3.3 आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हों।

(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)

3.4 आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (कमनिसजमत) नहीं हो।

3.5 एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा।

3.6 आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू. 3,00,000/– से अधिक नहीं हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे। आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता–पिता, अविवाहित भाई–बहन की आय भी सम्मिलित होगी)

3.7 आवेदक जिन्होने प्रमंरोयो, प्रमंरोसृका या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे।

4– इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है –

4.1– ऋण

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	02.00 लाख

4.2– हितग्राहियों को सुविधायें –

वर्ग	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क/ वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्ग	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रू0 तक	5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 50,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 25,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / विकलांग / भूतपूर्व सैनिक / नक्सल प्रभावित	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.जा. / अ.ज.जा.	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

4.3— उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों को प्रचलित औद्योगिक नीति में प्रावधानित ब्याज अनदान एवं योजना में प्रचलित ब्याज अनुदान की राशि का अंतर तथा औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों के अन्तर्गत देय औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे।

5— परियोजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति द्वारा दी जावेगी।

1. भौतिक लक्ष्य—374, वित्तीय लक्ष्य— 500.00 लाख
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण— 465, मार्जिन मनी— 254.47 लाख
3. ऋण वितरित प्रकरण—217, वितरित मार्जिन मनी—116.58 लाख

3.2 केन्द्रीय योजनाएं

3.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु –

उद्देश्य – देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।

परियोजना लागत – अधिकतम 25.00 लाख

विनिर्माण

सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम 10.00 लाख

लाभार्थी का अंशदान – सामान्य वर्ग – 10 प्रतिशत

अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 प्रतिशत

अनुदान की दर – सामान्य वर्ग – शहरी 15 प्रतिशत, ग्रामीण 25 प्रतिशत

अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – शहरी 25 प्रतिशत, ग्रामीण 35 प्रतिशत

पात्रता – आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/सोसायटी भी पात्र

1.2 वर्ष 2015–16 में भी यह योजना भारत सरकार द्वारा निरंतर रखी गई है, लक्ष्य भौतिक– 860 इकाईयां, लक्ष्य वित्तीय– 1721.52 लाख

1.3 उपलब्धियां भौतिक – बैंको द्वारा स्वीकृति 1122, ऋण वितरित प्रकरण – 860

1.4 प्राप्त मॉर्जिन मनी अनुदान – संख्या 540, राशि रू. 984.08 लाख,

1.5 अप्राप्त मॉर्जिन मनी – संख्या 320, राशि रू. 737.44 लाख,

3.2.2 निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE)

भारत सरकार की ''एसाईड'' योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त है। एसाईड योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित ''राज्य निर्यात संवर्धन समिति'' के द्वारा योजनाओं/कार्यों का चयन एवं स्वीकृति प्रदान की जा रही है। राज्य से होने वाले निर्यात के अनुपात में प्रति वर्ष केन्द्र से मिलने वाली राशि के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है।

एसाईड योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से अब तक औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं रावांभाठा–भनपुरी, जिला रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जिला बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग एवं इनलैण्ड कंटेनर डिपो कांपा, रायपुर में आयात निर्यात गतिविधियों से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्य संपादित किये गये हैं। उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य से होने वाले निर्यात (Export Performance) के अनुपात में पात्रता के अनुसार कुल राशि रु. 62.47 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

वर्तमान में एसाईड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त राशि से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, ग्राम तूता, नया रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों के साथ–साथ निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित सेमीनार, वर्कशॉप, व्यावसायिक सम्मेलन, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन के दृष्टिकोंण से एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कुल लागत राशि रु. 24.05 करोड़ से किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजना निर्माण कार्य हेतु रु. 19.10 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के रुप में स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की एसाईड योजना में अनूसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत शिल्पग्राम के निर्माण कार्य हेतु रु. 1.80 करोड़ की राशि शत–प्रतिशत अनुदान के रुप में स्वीकृत की गई है, उक्त राशि से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, ग्राम तूता, नया रायपुर में शिल्पग्राम का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

राज्य शासन से उपरोक्त राशि का 3 प्रतिशत स्थापना व्यय के रूप में पृथक से प्राप्त होता हैं। राशि 50.79 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके है, शेष कार्य प्रगति पर हैं।

3.2.3 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की गई है/की जा रही है –

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	32.32	स्थापनाधीन
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	स्थापनाधीन

3.2.4 औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना का संशोधित क्रियान्वयन

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़िकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़िकरण हेतु पृथक–पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनो परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

परियोजना लागत निम्नानुसार है –

औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, जिला रायपुर

परियोजना लागत	रु. 5480.94 लाख
केन्द्र सरकार से अनुदान	रु. 1215.00 लाख
राज्य शासन का हिस्सा	रु. 4265.94 लाख

औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर

परियोजना लागत	रु. 4459.33 लाख
केन्द्र सरकार से अनुदान	रु. 1203.81 लाख
राज्य शासन का हिस्सा	रु. 3255.52 लाख

औद्योगिक क्षेत्र उरला में अब तक योजना अंतर्गत रु. 389 लाख की लागत से 17 किमी डी.आई. पाईप लाईन तथा रु. 337 लाख की लागत से 700 मीटर लंबाई की 7.50 मीटर चौड़ी सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं 4.17 कि.मी. आर.आर. मेसनरी नाली का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 24.50 कि.मी. डी.आई.पाईप लाईन, 10 एम.एल.डी. क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र, 22 कि.मी. आर. आर.सी. नाली, 26.5 कि.मी. स्ट्रीट लाईट आदि का निर्माण किया जाएगा, अन्य निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।

परिशिष्ट - एक

उद्योग संचालनालय की स्वीकृत पद संरचना

अ - उद्योग संचालनालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	उद्योग संचालक	01	आई.ए.एस. (प्रतिनियुक्ति पर)
2	अपर संचालक	03	01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में
3	संयुक्त संचालक	08	06 प्रतिनियुक्ति पद 03–सीएसआईडीसी 01–एसआईपीबी 02–ग्रामोद्योग
4	उप संचालक	18	08 प्रतिनियुक्ति पद 05–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी 01–लैण्ड यूज बोर्ड
5	सहायक संचालक	27	15 प्रतिनियुक्ति पद 10–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी 01–जेल विभाग 02–ग्रामोद्योग
6	सहायक प्रबंधक	14	02 प्रतिनियुक्ति पद एसआईपीबी में
7	लेखाधिकारी	01	01 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
8	सहायक लेखाधिकारी	02	02 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9	शीघ्रलेखक वर्ग–1	03	
10	शीघ्रलेखक वर्ग–2	06	01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी में
11	शीघ्रलेखक वर्ग–3	12	
12	अधीक्षक	01	
13	सहायक अधीक्षक	01	
14	सहायक वर्ग–1	10	
15	सहायक वर्ग–2 / लेखापाल	10	
16	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग–3	24	
17	मुख्य लेखापाल	01	डाईंग केडर
18	जूनियर ऑडिटर	03	
19	कम्प्यूटर आपरेटर	12	

20	वाहन चालक (नैमितिक)	12	
21	वाहन चालक	01	
22	दतरी	04	
23	जमादार	02	
24	भृत्य / चौकीदार	18	
25	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	
26	चौकीदार (नैमितिक) (कलेक्टर दर पर)	02	
27	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01—एसआईपीबी के लिये
	योग	**208**	

ब - मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्रं.	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य महाप्रबंधक	04
2	महाप्रबंधक	31
3	प्रबंधक	80
4	सहायक प्रबंधक	130
5	शीघ्रलेखक वर्ग—1	04
6	शीघ्रलेखक वर्ग—2	14
7	शीघ्रलेखक वर्ग—3	27
8	सहायक अधीक्षक	03
9	सहायक वर्ग—1	36
10	सहायक वर्ग—2 / लेखापाल	76
11	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग—3	86
12	कम्प्यूटर आपरेटर	27
13	वाहन चालक (नैमितिक)	18
14	जमादार	27
15	भृत्य / चौकीदार	72
16	चौकीदार (नैमितिक) कलेक्टर दर पर	18
	योग	**581**

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना

अ - मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	रजिस्ट्रार	1
2	उप पंजीयक	1
3	सहायक पंजीयक	2
4	निरीक्षक	3
5	सहायक अधीक्षक	1
6	ऑडिटर	3
7	स्टेनोग्राफर	1
8	सहायक ग्रेड–2	2
9	सहायक ग्रेड–3	3
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12	दफ्तरी	1
13	भृत्य	3
14	प्रोसेस सर्वर	2
15	चौकीदार/फर्राश	2
16	वाहन चालक	1
	योग	**29**

ब - मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	सहायक पंजीयक	1
2	निरीक्षक	1
3	ऑडिटर	1
4	सहायक ग्रेड–2	1
5	सहायक ग्रेड–3	1
6	भृत्य	1
7	प्रोसेस सर्वर	1
8	चौकीदार/फर्राश	1
	योग	**8**

परिशिष्ट - तीन

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना

क्रं.	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
3	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
4	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5	सहायक वर्ग–1	1
6	सहायक वर्ग–2	2
7	सहायक वर्ग–3	4
8	शीघ्र लेखक वर्ग–3	1
9	लेखापाल	1
10	स्टेनोटायपिस्ट	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
12	वाहन चालक	1
13	भृत्य	4
14	चौकीदार	1
	योग	**27**

परिशिष्ट - चार

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	संयोजक	1
2	संयुक्त संचालक	1
3	उप संचालक	2
4	सहायक संचालक	2
5	सहायक प्रबंधक	4
6	लेखापाल	1
7	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
9	सहायक वर्ग–2	1
10	सहायक वर्ग–3	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
12	भृत्य	2
13	चौकीदार	1
	योग	**19**

परिशिष्ट - पांच

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
3	उप महाप्रबंधक	01	डाईंग केडर
4	मुख्य महाप्रबंधक	05	03 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं 01 पद विपणन प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत
5	महाप्रबंधक	12	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
6	कम्पनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
7	प्रबंधक	20	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
8	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति / सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रूप में स्वीकृत
9	सहायक प्रबंधक	24	
10	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय / 01 पद विपणन प्रभाग हेतु
11	सहायक प्रबंधक तकनीकी / निरीक्षक	03	
12	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	1	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
13	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	
14	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	03	
16	सहायक लेखाधिकारी	03	
17	लेखापाल	01	डाइंग केडर
18	लेखापाल	08	
19	केशियर	01	
20	सहायक वर्ग–1	18	
21	फील्ड ऑफिसर	01	डाइंग केडर
22	सहायक वर्ग–2	24	
23	सहायक वर्ग–3	36	
24	सेल्समेंन	03	डाइंग केडर
25	स्टोर कीपर	02	डाइंग केडर
26	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	

27	पी.बी. एक्स. ऑपरेटर	01	डाईंग केडर
28	तकनीशियन	03	
29	पटवारी	02	
30	वाहन चालक	15	
31	भृत्य	23	
32	माली	02	
33	दफ्तरी	01	डाइंग केडर
34	मुख्य अभियंता	01	
35	कार्यपालन अभियंता	04	
36	सहायक अभियंता	08	
37	कनिष्ठ अभियंता	16	
38	मानचित्रकार	01	
39	सहायक मानचित्रकार	02	
40	अनुरेखक	02	
41	सहायक फोरमेन	01	डाइंग केडर
42	मशीन आपरेटर	02	डाइंग केडर
43	कारपेंटर	01	डाइंग केडर
44	समयपाल	16	
45	रोड रोलर चालक	03	डाइंग केडर
46	पंप आपरेटर–1	05	
47	पंप आपरेटर–2	03	
48	प्लम्बर	05	
49	फिल्टर प्लांट आपरेटर/मीटर रीडर	13	
50	इलेक्ट्रीशियन	03	
51	लाईनमेन	06	
52	हेल्पर	44	डाइंग केडर
53	चौकीदार	20	
54	कुशल श्रमिक	02	डाइंग केडर
55	टर्नर	01	डाइंग केडर
56	लेबर	02	डाइंग केडर
	योग	**393**	

छत्तीसगढ़ पेवेलियन - भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2015, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ पेवेलियन - मेक इन इण्डिया वीक 2016, मुम्बई

प्लास्टिविज़न अरेबिया 2016, शारजाह

इलेक्ट्रोमेशन 2016 बड़ोदरा, गुजरात

मेक इन इंडिया वीक 2016, मुम्बई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ पेवेलियन का अवलोकन

अडानी समूह के साथ CTP (COAL TO POLY) GENERATION हेतु एम.ओ.यू.

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री

श्री अमर अग्रवाल
मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

www.industries.cg.gov.in /InvestChhattisgarh @CGInvest